

शिक्षक- रवि शंकर राय, विषय- अधिग्राहक
दिनांक - 19-09-2020, बगी- BAF-II

State Finance Commission राज्य वित्त आयोग

73 वें Constitution amendment अधिनियम में अह संविधान किया गया है कि राज्यों के राज्यपाल 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के परिवर्तन के एक वर्ष के अवधि में यथा विधि और इसके पश्चात प्रतिवर्ष के अन्तराल पर संविधान के अनुच्छेद 243-I (243-ए) के तहत एक अप्पा और अधिकारम् 4 अन्य सदस्यों सहित वित्त आयोग का गठन कोएगा जिसकी वित्तीय दिव्यता की समीक्षा कोएगा।

अनुच्छेद 280 के तहत, केंद्र finance commission की तरफ पर 1993 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गयी थी जिसका उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय दिव्यता की समीक्षा करना और इसके लिए नियम बनाना में सिपारिश करना होता है।

- 1) राज्य द्वारा लगानी जाए करो, खुलो; टोल

ओर कीष की विशुद्ध आय का पंचायती तथा
राज्य के बीच आवंटन करना जिसके लिए दोनों के गठन
विभाजित किया जा सकता है और पंचायत के वि-
भिन्न लारों पर खर्च आ आवंटित किया जा सकता
है।

ii) 'पंचायती' को किसने कर, बुल्ल, टोल कीष
लापी जा सकती है; का नियमित करना,
नगर निकायों की वित्तीय समीक्षा
(financial Review of municipalities) —

संविधान संस्कारण आयोग

में इस प्रत्याहार में किया गया है कि पंचायती
राज्य संस्थाओं के लिए संविधान के अनुच्छेद
२४३ के अन्तर्गत गठित आयोगों संविधान के
अनुच्छेद २४३-५ के तहत नगर निकायों की वित्तीय
स्थिति का भी समीक्षा कर सकेगा।

⇒ राज्य वित आयोग के कार्य —

राज्य में रिक्त विभिन्न पंचायती
राज संस्थाओं और नगर निकायों की आयिक्ष
स्थिति की समीक्षा करना। राज्य में रिक्त विभिन्न
नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की

वित्तीय स्थिति को उधारने के लिए विभिन्न क्रम उठाना। राज्य के दौरियाँ नीति से राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज्य संस्थाओं और नगर निकायों को अपने आवंटित करना। वित्तीय मुद्दों के सम्बन्ध में केन्द्र और राज्य सरकार के मध्य के हिस्से में कार्य करना। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त भी गाने वाली राशि का सहुपयोग करना। राज्य सरकार द्वारा लगाई गई कट, शुल्क, टोल, और अधिकारियों का राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच आवरण करना। कट, टोल, शुल्क और फीस, जिस राज्य में विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों द्वारा लगाई गई हैं, जो मिलाकर करना।

सार्वजनिक अनुच्छेद २५३-५ का सम्बन्ध में आधोंग द्वारा पंचायतों के विशेष मूल्यांकन के लिए वित्तीय स्थिति

समीक्षा करता है। भारत में पंचापनी राज दंस्ता का अवधारणा और आकंड़ा का उपयोग के लाने के लिए राज्य वित्त आयोग की अभिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पर्याप्त दबापत्रा और अधिकार के साथ उंतिम रूप के अभिकार तक वित्त आमता या सावधानी दे उपलब्ध होता है, तो सजा के अन्तरण को महसूस नहीं जा सकता है। इन पहलूओं के मद्देनजर राज्य वित्त आयोग की अभिका को देखा जा सकता है।

⇒ नकारात्मक पक्ष:-

लोक तंत्र के विचार के बाबा देना लड़कार और शासन के बृहद विकासकारी पहलू। इथानीप लोक और इथानीप नेताओं का सशक्तिकरण। इसके द्वारा लिए घनराशि का सही मारा और सभ्य में पहुंचाना।

⇒ नकारात्मक पक्ष:-

राज्य अपने वित्त अधिकार का प्रयोग करने में अभियुक्त हो

है। राज्य की आयोग समिति में बहुत अधिक हल्काप और अतिकाल का कार्य कर रहा है। राज्यों के पास छप्पन के रखने के लिए प्रयोगिक नहीं हैं। जिस वजह से घनराष्ट्री को दास्ता करने के कारण मामूली घनराष्ट्री का राज्य सरकार इसारा हमेशा विरोध किया जाता है। अभी तक राज्य विल आयोग के विचार को सच्ची भावना में लिया नहीं किया जा सका है।

The end.